कार्यालय नगर पालिका निगम, देवास (म0प्र0)

"दीनदयाल रसोई योजना" के संचालन हेतु इच्छुक संस्थाओ/व्यक्ति के लिए आमंत्रण की सूचना

नगर निगम देवास के द्वारा गरीब एवं जरूरतमंद व्यक्तियों को पौष्टिक सस्ता एवं स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दीनदयाल रसोई योजना का संचालन किया जा रहा है । इस योजना के अंतर्गत राशी रू0 5/- (रूपये पांच) प्रति व्यक्ति की दर से भोजन उपलब्ध कराया जाता है। इस हेतु शहरी क्षेत्र में केन्द्रो की स्थापना की जायेगी। इन केन्द्रो के संचालन हेतु इच्छुक गैर शासकीय, धार्मिक, स्वयंसेवी संस्था, जो पंजीकृत हो एंव इस तरह के कार्य का अनुभव रखती है से प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते है । निविदा नियम एवं शर्ते बेबसाइड www.dmcdewas.com से डाउनलोड अथवा DAY-NULM से प्राप्त कर सकते है ।

सभी प्रकार के पूर्ण मोहरबंद निविदाए दिनांक 15 जून 2020 को सायं 5:00 बजे तक नगर निगम कार्यालय में प्राप्त होनी चाहिये । निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त होने वाली निविदाओं पर विचार नही किया जायेगा ।

उपायुक्त
नगर पालिक निगम
देवास

नगर निगम देवास के अंतर्गत "दीनदयाल रसोई योजना" के संचालन हेतु इच्छुक संस्थाओं के लिए नियम एवं शर्ते ।

1 निविदा नियम एवं शर्ते वेबसाइट से www.dmcdewas.com डाउनलोड कर सकते है ।
2 निविदाएं आयुक्त नगर पालिक निगम देवास के नाम प्रस्तुत की जायेगी।
3 इच्छुक फर्म/संस्था का आयकर एवं पंजीयन प्रमाण पत्र निविदा के साथ उपलब्ध कराना होगा ।
4 निविदाकर्ता फर्म/संस्था कही भी काली सूची (ब्लेक लिस्टेड) में नही होनी चाहियें ।
5 निविदाकर्ता फर्म/संस्था को सबंधित कार्य में कम से कम 03 वर्ष का अनुभव होना चाहिये।
6 निविदाकर्ता संस्था द्वारा प्रस्ताव के समस्त पृष्ठो पर नम्बर एवं स्व प्रमाणित कर प्रस्तुत करना होगा।
7 इच्छुक संस्थाओं के प्रस्ताव जिला स्तरीय समिति द्वारा आमंत्रित किये जाकर सेवाभाव से कार्य करने में सक्षम संस्था को चयन किया जायेगा। पूर्व से निःशुल्क अथवा कम दर पर भोजन उपलब्ध कराने का कार्य करने वाली संस्था को प्राथमिकता दी जायेगी ।
8 चयनित संस्था से विहित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित किया जायेगा ।
9 स्थल, भवन,जल एवं विघुत संयोजन एवं केन्द्रो की स्थापना नगरीय निकाय के द्वारा की जायेगी ।
10 केन्द्रो में उपयोग में आने वाले खाद्यान्न जैसे गेहूं चावल, उचित मूल्य की दुकान से खाद्य विभाग द्वारा शासन र्निदेशानुसार उपलब्ध कराया जायेगा ।
11 स्थापित केन्द्रो में प्रतिदिन दोपहर के भोजन की व्यवस्था पांच रूपये प्रति थाली की दर से प्रातः 11 बजे से दोपहर 03 बजे तक की जावेगी ।
12 संस्था द्वारा निर्धारित दर पर पौष्टिक भोजन का मैन्यू प्रस्ताव के साथ देना होगा ।
13 भोजन का मैन्यू जिला स्तरीय समन्वय एवं अनुश्रवण समिति द्वारा निर्धारित किया जावेगा ।
14 निविदा को जिला स्तरीय समन्वय एवं अनुश्रवण समिति देवास का बिना किसी कारण बताएं निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा। किसी भी प्रकार के वाद–विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र देवास होगा ।
15 निविदा स्तरीय समन्वय एवं अनुश्रवण समिति देवास का किसी भी मामले मे लिया गया निर्णया अंतिम एवं सर्वमान्य होगा ।
16 केन्द्र के संचालन हेतु संस्था का चयन दो वर्षो के लिये किया जायेगा ।

संचालनकर्ता संस्था की भूमिका एवं दायित्व

जिला स्तरीय समन्वय एवं अनुश्रवण समिति से चयनित संस्था केन्द्र के सुचारू संचालन हेतु उत्तरदायी होगी। संस्था जिला स्तरीय समन्वय एवं अनुश्रवण समिति तथा नगरीय निकाय के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में कार्य करेगी ।

चयनित संस्था के प्रमुख दायित्व निम्नानुसार होंगे ।

1 संस्था द्वारा भोजन से सबंधित रसद को प्राप्त करने अथवा क्रय करने की कार्यवाही की जावेगी ।

2 प्रत्येक केन्द्र के लिये स्थानीय मुख्यालय के राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोला जायेगा ।

3 भोजन बनाने एवं वितरण करने तथा केन्द्र को साफ सुधरा एवं स्वच्छ रखने हेतु सबंधित आवश्यक मानव संसाधनो की व्यवस्था करना ।

4 संस्था जिला स्तरीय समन्वय एवं अनुश्रवण समिति की सलाह से तैयार साप्ताहिक मैन्यू के अनुसार पौष्टिक एवं गुणवत्ता पूर्वक भोजन तैयार करायेगी एवं वितरीत करेगी ।

5 केन्द्र परं प्रतिदिन भोजन करने वाले व्यक्तियों का अभिलेखन एवं प्रति व्यक्ति निर्धारित शुल्क रूपये 5.00 का संग्रहण भी संस्था द्वारा किया जायेगा ।

6 रसद एवं अन्य सामग्री तथा केन्द्रो पर हो रहे आय–व्यय का संपूर्ण ब्यौरा संस्था द्वारा विहित प्रारूपो मे रखा जायेगा तथा तैयार लेखा एवं अन्य जानकारियां मासिक रूप से नगरीय निकाय में प्रस्तुत की जावेगी ।

7 संस्था को उचित मूल्य की दुकान से गेहूं, चावल, उचित मूल्य की दुकान से खाद्य विभाग द्वारा शासन र्निदेशानुसार उपलब्ध कराया जायेगा । केन्द्र पर ईधन, विघुत, एवं जल बिल पर होने वाले आवर्ती व्यय की प्रतिपूर्ति उपलब्ध कराने का प्रयास किया जायेगा । भोजन उपलब्ध कराने हेतु लगने वाली लागत एवं वास्तविक मूल्य में अगर कोई अंतर आ रहा है तो संस्था इस हेतु दान प्राप्त कर सकेगे ।

8 संस्था का यह दायित्व होगा कि वह ये सुनिश्चित करे कि कोई भी व्यक्ति जो केन्द्र पर नियत समय सीमा मे भोजन के लिये आ रहा है तो वह बिना भोजन किये वापस नही जाये।

9 केन्द्र का साप्ताहिक मैन्यू जिला स्तरीय समन्वय एवं अनुश्रवण समिति द्वारा निर्धारित अनुसार होगा । भोजन का मैन्यू मूल्य एवं भोजन का समय केन्द्र के सहज दृश्य स्थान पर प्रदर्शित किया जावेगा ।

10 प्रत्येक केन्द्र पर प्राथमिक उपचार/अग्निसुरक्षा उपकरण आदि रखने होगे ।

11 संस्था को दानदाताओ से प्राप्त दान का विधिवत लेखा जोखा संधारण किया जावेगा जिसकी समुचित रसीद सबंधित को दी जावेगी। अगर संस्था को प्राप्त होने वाले दान में आयकर अधिनियम के अंतर्गत 80 सीजी की छूट प्राप्त है तो अधिनियम के प्रावधानो का पालन करते हुए उक्त का उल्लेख रसीद मे किया जायेगा ।

12 शासन एवं जिला स्तरीय समन्वय एवं अनुश्रवण समिति द्वारा समय समय पर दिये गये निर्देशो का पालन किया जायेगा ।

निविदा प्रपत्र

प्रति,

आयुक्त,

नगर पालिक निगम देवास

विषय :– नगर पालिक निगम देवास के अंतर्गत दीनदयाल रसोई योजना के संचालन हेतु आवेदन पत्र/प्रस्ताव के सबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषय मे निविदा प्रपत्र से सबंधित सूचनाये क्रमवार निम्नानुसार अंकित है ।

1 निविदाकर्ता/फर्म/संस्था/ का पूरा नाम एवं आफिस का पता

____

____

2 निविदादाता/फर्म/संस्था का टेलीफोन नं/मो.नं/फैक्स/ईमेल आईडी

____

____

3 निविदादाता/फर्म/संस्था के प्रोपराइटर/पार्टनर/डायरेक्टर/का नाम जो फर्म की तरफ से हस्ताक्षर हेतु अधिकृत हो (अधिकृत होने का प्रमाण पत्र संलग्न करे)

____

4 आयकर सबंधी पेन नं (पंजीयन की स्वप्रमाणित छायाप्रति) संलग्न करे ।

____

5 पंजीयन/जी.एस.टी नंबर (पंजीयन की स्वप्रमाणित छायाप्रति) संलग्न करे ।

6 पिछले तीन वर्षो का वार्षिक टर्न ओवर हेतु (Audited Financial Statement) प्रति संलग्न करे ।

7 पिछले तीन वर्षो के प्रदत्त आयकर की स्थिति (आयकर रिटर्न की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करे ।)

8 निविदादाता/फर्म/संस्था के कार्य विशेषज्ञ/कर्मचारियों की संख्या एवं विस्तृत जानकारी के साथ संलग्न करे ।

9 निविदादाता / फर्म / संस्था को इस कार्य का अनुभव (वर्षो में) ....

10 निविदादाता / फर्म / संस्था द्वारा किये गये अनुभव कार्य का विवरण

क्रं	कार्य का नाम	प्रायोजित करने वाली संस्था का नाम एवं पता

11 भोजन का प्रस्तावित साप्ताहिक मैन्यू का विवरण संलग्न करे ।

घोषणा पत्र

मै .... संस्था की और से अधिकृत हूं। मैने प्रकाशित निविदा सूचना के संदर्भ मे निविदा प्रपत्र में उल्लेखित कार्य शर्तो को भली भांति पढ़ कर समझ लिया है । तथा उक्त निविदा प्रपत्र में दर्शाई गई समस्त शर्तो को स्वीकार / करती / करता हूं। उक्त हेतु आवेदन पत्र / प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र के साथ प्रेषित कर रही / रहा हूं ।

हस्ताक्षर

निविदाकार / अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

नाम ....

पता ....

मुहर सहित ....

दिनांक ....